

अध्याय 3: बजटीय प्रबन्ध


प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजट तैयार करने की पारदर्शिता एवं इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि निधियों के अपव्यय या हस्तांतरण के बिना प्रशासनिक स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णय सफलता पूर्वक लागू किया जायें।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया का अर्थ है, सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप तैयार करना। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्त विभाग द्वारा सभी प्राप्तियों एवं व्यय जो वर्ष के दौरान प्राप्त या व्यय होना अनुमानित है, का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट के रूप में लोकप्रिय) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया में वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ:

चार्ट 3.1: बजट प्रक्रिया



बजट प्रक्रिया समान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चार्ट में दी गई है:

चार्ट 3.2: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस:केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएस: केन्द्रीय योजनायें।

जैसे ही संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रियानुसार विस्तृत अनुमान एवं अनुदान विधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित होते हैं, वित्त विभाग सभी विभागों के प्रमुखों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान के लिए रखे गए आवंटन लिखित रूप में सूचित करता है। अनुदानों को सूचित करने वाले पत्रों की प्रतियाँ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों तथा महालेखाकार को भेजी जाती हैं। वित्त विभाग बजट दस्तावेज की प्रतियाँ महालेखाकार को भी भेजता है।

इस प्रकार की सभी सूचनाएं एवं बजट के आंकड़े वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंध तंत्र पर अपलोड किये जाते हैं और वे सम्बंधित प्राधिकारियों की पहुँच में उपलब्ध रहते हैं।

वित्त विभाग, वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन के अनुरोधों की समीक्षा करता है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अंतर्गत निधि पुनः आवंटित करने के लिए भी कर सकते हैं। पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई की बचत को अनुदान या प्रभारित विनियोजन के एक ही खंड (राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित) के अंतर्गत अन्य इकाई के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत नीचे दर्शायी गई है:

चार्ट 3.3: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति



राज्य बजट नियमावली (राबनि) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक संभव हो यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में अधिक्य है। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध करायी गई राशि वह राशि होनी चाहिए जो वर्ष में व्यय की जा सकती है और यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

बजट प्रक्रिया/दस्तावेज नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित बाह्य लेखापरीक्षा के अधीन है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि (i) राजस्व प्राप्ति और व्यय के औचित्य के लिए हर संभव प्रयास किये गये (ii) सरकार द्वारा सेवाओं की अदायगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ की गई है, और (iii) पूरे बजट चक्र के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्य का सारांश

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य का सारांश तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1,98,835.29	44,061.51	1,74,658.95	43,879.83	24,176.34	181.67

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बचतें मुख्यतया बजट प्रावधान के दत्तमत भाग से संबंधित हैं।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया जाता है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है। दत्तमत व्यय विधानसभा के मत के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की समेकित निधि पर भारित किया जा सकता है।

गत पाँच वर्षों (2015-20) के दौरान कुल संवितरणों के प्रभारित एवं दत्तमत में वर्गीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2015-20 के दौरान दत्तमत एवं प्रभारित संवितरण और बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2015-16	1,56,718.87	17,089.31	(-) 17,434.41	(+) 169.91
2016-17	1,43,262.70	22,913.17	(-) 17,297.87	(-) 90.45
2017-18	1,52,446.45	31,640.86	(-) 15,882.96	(-) 107.23
2018-19	1,70,938.53	38,837.74	(-) 19,224.26	(-) 77.79
2019-20	1,74,658.95	43,879.83	(-) 24,176.34	(-) 181.67

प्रभारित संवितरण वर्ष 2015-16 में ₹17,089.31 करोड़ से 156 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 43,879.83 करोड़ हो गया। दत्तमत संवितरण 2015-16 में ₹ 1,56,718.87 करोड़ से 11.44 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,74,658.95 करोड़ हो गया और वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत भाग के तहत बचत ₹15,000 करोड़ से अधिक रही।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में उल्लेखित अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदानों और विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रभारित विनियोगों की तुलना करते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को

स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित एवं दत्तमत व्यय दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजट प्रावधानों के अनुश्रवण की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए, वित्त लेखों के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह पता लगाने के लिए विनियोजन की लेखापरीक्षा करते हैं कि क्या वास्तव में बजट में निहित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय किया गया है, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकारों के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग संविधान के प्रावधानों के तहत आरोपित किए जाने आवश्यक थे। यह भी पता लगाना आवश्यक है कि क्या ऐसा व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

राज्य बजट नियमावली (राबनि) का अनुच्छेद 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, उद्देश्य के लिए उपलब्ध करायी गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा पर व्यय के लिए वर्ष के दौरान आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानसभा द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य विधानसभा ने 44 अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 2,937.13 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (फरवरी 2020) का अनुमोदन किया। प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 17 मामलों में कुल ₹ 916.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया उन्हें तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधान से बचत
अनावश्यक अनुपूरक					
राजस्व (दत्तमत)					
1.	2- मंत्रिपरिषद	15.01	1.89	14.88	-0.13
2.	9- वन	780.23	18.9	703.43	-76.8
3.	16-पुलिस	6362.99	74.40	6169.33	-193.66
4.	20-आवास	71.13	0.86	59.02	-12.11
5.	21-सड़कें और पुल	2528.34	63.87	2217.59	-310.75
6.	26-चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई	10189.19	95.99	9593.02	-596.17
7.	27-पेयजल योजना	3999.86	50.53	3628.51	-371.35
8.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	5019.99	24.45	3826.68	-1193.31
9.	35-विविध सामुदायिक और आर्थिक सेवाएँ	499.68	37.99	490.39	-9.29

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधान से बचत
10.	41-सामुदायिक विकास	5947.43	358.41	5537.12	-410.31
11.	43-स्वनिज	185.17	10.89	137.67	-47.5
12.	44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	30.78	1.49	28.39	-2.39
13.	46-सिंचाई	1984.17	34.60	1853.53	-130.64
	योग	37613.97	774.41	34259.56	3354.41
पूँजीगत (प्रभारित)					
14.	लोक ऋण	20043.53	6.26	20032.68	-10.85
	योग	20043.53	6.26	20032.68	-10.85
पूँजीगत (दत्तमत)					
15.	16-पुलिस	174.61	43.09	150.61	-24
16.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	539.22	62.00	495.24	-43.98
17.	46-सिंचाई	1866.58	30.29	1635.34	-231.24
	योग	2580.41	135.38	2281.19	299.22
	महायोग	60237.91	916.05	56573.43	3664.48

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में, यह पाया गया कि अनुदान के लिये अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इंगित करता है कि संविधान और राबनि के प्रावधान के विपरीत मूल प्रावधान की पर्याप्तता के उचित आंकलन किये बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट होता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी राबनि के अध्याय 24 के तहत परिकल्पित अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन किए बिना अनुपूरक प्रावधानों की मांग बजटीय नियंत्रण और अपर्याप्त मूल्यांकन की कमी को दर्शाती है। विभागों को भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए धन की आवश्यकता का उचित आंकलन करने और अनुपूरक प्रावधानों के आधार की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है से दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है। राबनि के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य हैं, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 31 मार्च 2020 तक ₹ 11,980.10 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये और जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 30 लेखा शीर्षों में एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचत/आधिक्य रहे (*परिशिष्ट 3.2*)। सात लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, चार लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 19 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप 96 उप-शीर्षों में ₹ 623.44 करोड़ आधिक्य व्यय हुआ एवं 420 उप-शीर्षों में ₹ 452.80 करोड़ की अंतिम बचत रही। राज्य सरकार ने इन पुनर्विनियोजनों के लिए कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया (मार्च 2021)।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य के संकेत हैं कि बजट को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नहीं थी।

राबनि का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग द्वारा आधिक्य या बचतों के पूर्वानुमानों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2020) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 1,504 पुनर्विनियोजन आदेशों में से मात्र 585 प्रकरणों (38.9 प्रतिशत) में कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 919 प्रकरणों में स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' प्रकृति के पाये गये।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/समर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 उपबंध करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए गत तीन वर्षों में हुए वास्तविक व्यय के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को भी ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी के लिए किसी भी ध्यान देने योग्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली किसी विशेष घटना की संभावना है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण पाये गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 24,358.00 करोड़ (10.03 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 25 अनुदानों जिनमें बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की रही में राशि ₹ 22,979.81 करोड़ (कुल बचत का 94.34 प्रतिशत) की बचतें रही, जिनको **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।


विभागों द्वारा पर्याप्त बचत के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां जारी नहीं करना/कम जारी करना बताये गये। अन्य कारणों में कार्य की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होना, कार्य का निष्पादन नहीं/कम होना, निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, पदों का रिक्त रहना, वेतन और भत्तों पर कम व्यय, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव नहीं होना, एनएसडीएल द्वारा अनुमानित की तुलना में प्रशिक्षुओं को प्रान कम जारी होने से एनपीएस के संभावित अंशदान की कम प्राप्ति, मार्च 2020 के अंतिम दिनों के दौरान लोकडाउन के कारण कोषालय में बिलों को पारित नहीं होना, निर्माण स्वीकृति जारी न करने, मरम्मत और रखरखाव पर कम व्यय,

आईएसबीआईजी¹ परियोजना के दिशा-निर्देशों का जारी न होना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के पीडी स्त्रातों में निधियों का हस्तांतरण नहीं होना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय को अनुदान जारी न करना, बजट सीमा में कटौती आदि अवगत कराये गये। यद्यपि, यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 2,01,977.70 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,24,904.84 करोड़) की तुलना में ₹ 22,927.14 करोड़ तथा संशोधित अनुमानों (₹ 2,17,254.69 करोड़) की तुलना में ₹ 15,276.99 करोड़ कम रही।

यह इंगित करता है कि इन विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22,979.81 करोड़ की भारी बचतें हुईं।

प्रत्येक समूह में कुल बचतें ₹ करोड़ में के साथ, बचत के प्रतिशत के आधार पर अनुदान/विनियोगों की संख्या का वर्गीकरण नीचे चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।


चार्ट 3.4: कुल बचत के साथ अनुदानों/विनियोगों की संख्या



पूंजीगत-दत्तमत भाग में 12 अनुदान और राजस्व-दत्तमत भाग में एक अनुदान में 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग के साथ, पांच अनुदानों में गत पांच में से दो वर्षों में कम उपयोग हुआ, जो कि प्रणालीगत मामलों के संकेत है जो सुधारात्मक उपायों को शुरू करने को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा गहन समीक्षा पर जोर देते हैं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 पांच वर्ष की अवधि के लिए इन 13 अनुदानों में बजट आवंटन का उपयोग निम्नानुसार तालिका 3.4 और चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

1. सिंचाई अंतर को कम करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

चार्ट 3.5: वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान बजट उपयोग



तालिका 3.4: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	वर्षों की संख्या*	बजट 2019-20	कुल बजट (5 वर्षों)
	पूँजीगत दत्तमत								
1.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	24 %	25%	36%	41%	35%	5	10.71	118.73
2.	12-अन्य कर	50%	33%	7%	90%	54%	3	24.00	762.24
3.	19-लोक निर्माण कार्य	72%	44%	59%	55%	52%	1	805.24	6099.78
4.	23-श्रम और रोजगार	29%	50%	47%	60%	0%	4	31.00	186.15
5.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	40%	49%	58%	71%	69%	2	252.08	1483.22
6.	32-नागरिक आपूर्ति	6%	7%	23%	15%	1%	5	3.88	20.43
7.	37-कृषि	52%	39%	82%	44%	48%	3	246.80	1813.49
8.	38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	65%	18%	91%	35%	100%	2	0.28	5.97
9.	41-सामुदायिक विकास	17%	85%	63%	32%	16%	3	9.62	87.46
10.	42-उद्योग	20%	67%	17%	5%	20%	4	95.06	625.19
11.	43-स्वनिज	0%	6%	18%	58%	92%	3	173.53	1105.78
12.	47-पर्यटन	79%	43%	40%	61%	13%	3	30.88	239.20
	राजस्व दत्तमत								
13.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	19%	19%	56%	40%	32%	4	0.21	1.50


* 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

इन क्षेत्रों में कम उपयोग और कम उपयोग की पुनरावृत्ति के मामलों इन क्षेत्रों पर कम जोर देने के साथ-साथ बजट प्रक्रिया की कमी को इंगित करते हैं। सरकार द्वारा इन अनुदानों में कम उपयोग की पुनरावृत्ति कारणों की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि वर्ष के दौरान अनुदान संख्या 23 (पूँजीगत दत्तमत भाग) के अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय के लिए ₹ 31.00 करोड़ का प्रावधान किया गया लेकिन वर्ष के दौरान उल्लेखित उद्देश्य के लिए कोई व्यय नहीं किया गया।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2019-20 के समापन से पूर्व बचतें और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान ₹ 24,358.00 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ₹ 121.59 करोड़ की निधियों के अधिक अभ्यर्पण के कारण ₹ 24,479.59 करोड़ (100.5 प्रतिशत) अभ्यर्पित की गई, विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

प्रत्याशित बचतों का अन-अभ्यर्पण

राबनि के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष के अंत का इंतजार किए बिना, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाये, जब तक कि वे उसी अनुदान के तहत अन्य इकाइयों के तहत आधिकार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा कोई भी बचत भविष्य के संभावित अधिक्य को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के तहत राशि ₹ 479.01 करोड़ की राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया था और दो अनुदानों में ₹ 600.60 करोड़ के अतिरिक्त अभ्यर्पण से इसकी पूर्ति की गई, के परिणामस्वरूप ₹ 121.59 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण रहा।

17 अनुदानों/विनियोजनों (जहाँ बचतें ₹ एक करोड़ और उससे अधिक थी) के तहत 23 मामलों में कुल बचतें ₹ 17254.89 करोड़ में से ₹ 474.14 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई (परिशिष्ट 3.4)। शीघ्र अभ्यर्पण अन्य क्षेत्रों में, जहाँ कमी है, संसाधनों का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।

मार्च के अंत में निधियों का अभ्यर्पण (₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण

दो अनुदानों में ₹ 1,102.65 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 1,703.25 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जो कि ₹ 600.60 करोड़ से अधिक थी जैसाकि तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रकरण जहां अधिक अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	अभ्यर्पित की गई राशि	अधिक अभ्यर्पण
1.	16- पुलिस (राजस्व-दत्तमत)	6,362.99	74.4	6,437.39	6,169.33	268.06	272.14	4.08
2.	21- सड़कें एवं पुल (राजस्व-दत्तमत)	2,528.34	63.87	2,592.21	2,217.59	374.62	939.42	564.8
3.	21- सड़कें एवं पुल (पूंजीगत-दत्तमत)	3,759.48	0	3,759.48	3,299.51	459.97	491.69	31.72
	योग	12,650.81	138.27	12,789.08	11,686.43	1,102.65	1,703.25	600.6

स्रोत: विनियोग लेखे।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में विभागों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (मार्च 2021)।

जैसा कि देखा जा सकता है, अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन दो अनुदानों में अपर्याप्त बजट नियंत्रण को इंगित करती है।

निरंतर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपने 86 वें (मार्च 2016) और 153 वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरंतर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चितता की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2019-20 के दौरान निरंतर बचतों के मामलें लगातार जारी रहे।

गत तीन वर्षों के दौरान, आठ अनुदानों के नौ मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें कुल प्रावधान के 10.5 प्रतिशत से 47.58 प्रतिशत के मध्य रही, जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	21-सड़कें और पुल	2017-18	2017.89	1700.22	317.67	15.74
		2018-19	1668.65	1362.34	306.31	18.36
		2019-20	2592.21	2217.59	374.62	14.45
2.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2017-18	934.93	770.68	164.25	17.57
		2018-19	1,012.06	769.29	242.77	23.99
		2019-20	645.24	431.45	213.79	33.13
3.	29-शहरी आयोजना और क्षेत्रीय विकास	2017-18	4,984.89	3,881.28	1,103.61	22.14
		2018-19	5,099.28	4,015.09	1,084.19	21.26
		2019-20	4916.82	4016.24	900.58	18.32
4.	37-कृषि	2017-18	2,471.37	2,212.86	258.51	10.46
		2018-19	2,507.20	2,013.91	493.29	19.67
		2019-20	2502.34	2168.48	333.86	13.34
पूंजीगत-दत्तमत						
5.	19- लोक निर्माण कार्य	2017-18	1,509.83	884.68	625.15	41.41
		2018-19	1024.80	560.35	464.45	45.32
		2019-20	805.24	422.12	383.12	47.58
6.	27-पेयजल योजना	2017-18	3,901.51	3,218.49	683.02	17.51
		2018-19	3,744.05	2,700.23	1,043.82	27.88
		2019-20	3244.50	2221.98	1022.52	31.52
7.	29-शहरी आयोजना और क्षेत्रीय विकास	2017-18	1,501.58	950.74	550.84	36.68
		2018-19	1,477.17	1,280.37	196.80	13.32
		2019-20	1300.87	811.25	489.62	37.64
8.	46-सिंचाई	2017-18	1,616.99	1,381.46	235.53	14.57
		2018-19	1,653.77	1,414.63	239.14	14.46
		2019-20	1896.87	1635.34	261.53	13.80
9.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2017-18	5537.1	3872.12	1664.98	30.07
		2018-19	5293.39	3959.49	1333.9	25.20
		2019-20	4178.83	3194.2	984.63	23.56

स्रोत: विनियोग लेखे।

सम्बंधित विभागों द्वारा अवगत कराये गए कारणों के अनुसार, निरंतर बचतें मुख्यतः भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां कम/जारी नहीं करने के कारण थी। बचतों के अन्य कारण कार्यों की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन या निष्पादित नहीं होना, निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, पदों का रिक्त रहना, इत्यादि थे।

अवधि के दौरान निरंतर बचतें, संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण की ओर इंगित करती है।

3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजट प्रावधान

एक मुश्त बजट प्रावधान, बजट के एक सामान्य, गैर-विशिष्ट दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसे कि अनुदान के प्रमुख के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। राबनि के अनुच्छेद 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहाँ एक मुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, बजट टिप्पणी में एक मुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने चाहिए।

लोक निर्माण कार्य वित्तीय और लेखा नियमों (पीडब्ल्यूएफ एंड एआर) के नियम 287 के अनुसार, वित्तीय स्वीकृति से अभिप्राय है कि नियम 284² में उल्लेखित सभी प्रमुख कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय तथा एकमुश्त प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग में सरकार की विशिष्ट सहमति है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 11 अनुदानों के 40 मामलों के अंतर्गत (जहां अभ्यर्पित प्रावधान ₹ 5 करोड़ से अधिक था) अनुमानों में ₹ 2,523.76 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से, ₹ 1,642.16 करोड़ (65.07 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे जिन्हें वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया (*परिशिष्ट 3.5*)। इन प्रकरणों में एकमुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (मार्च 2021)।

पूँजीगत परियोजनाओं में कम व्यय, विभाग के स्तर पर कार्यों के पर्याप्त अनुश्रवण और व्यय के प्रवाह की कमी और विभाग द्वारा बिना उचित योजना के तैयार किये जा रहे प्रस्तावों की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, कार्यों में विलम्ब से लागत में वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर

वर्ष 2019-20 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है।

2. कार्य को तीन भागों में बांटा गया है (i) छोटे कार्य जैसे जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक नहीं है, (ii) लघु कार्य जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक लेकिन ₹ 5.00 करोड़ से अधिक नहीं है एवं (iii) प्रमुख कार्य जैसे जिनकी लागत ₹ 5.00 करोड़ से अधिक है।

तालिका 3.7: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूलअनुदान/विनि योग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय*	निविल बचतें (-)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	1,72,775.96	1,989.08	1,74,765.04	1,55,942.36	18,822.68	19,084.98	103.39
	II. पूंजीगत	21,357.35	245.47	21,602.82	16,461.41	5,141.41	4,939.99	96.08
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,408.53	58.90	2,467.43	2,255.19	212.24	281.87	132.81
	योग	1,96,541.84	2,293.45	1,98,835.29	1,74,658.96	24,176.33	24,306.84	100.54
प्रभारित	V. राजस्व	23,374.30	637.30	24,011.60	23,847.05	164.55	155.64	94.59
	VII. पूंजीगत	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
	VIII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	20,043.53	6.27	20,049.80	20,032.68	17.12	17.11	99.94
	योग	43,417.83	643.67	44,061.50	43,879.83	181.67	172.75	95.09
आकस्मिकता निधि को विनियोग (यदि कोई हो)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	2,39,959.67	2,937.12	2,42,896.79	2,18,538.79	24,358.00	24,479.59	


स्रोत: विनियोग लेखे।

* वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं (राजस्व: ₹ 3,304.31 करोड़, पूंजीगत: ₹ 1,743.46 करोड़ तथा कुल: ₹ 5,047.77 करोड़)।

₹ 24,358.00 करोड़ की समग्र बचतें राजस्व अनुभाग के 49 अनुदानों और 43 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के 35 अनुदानों और 4 विनियोगों में बचतों का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 2937.12 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 1.22 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान बजट प्रावधान ₹ 2,42,896.79 करोड़ के समक्ष कुल बचतों के साथ सभी अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत ₹ 24,358.00 करोड़ (10.03 प्रतिशत) की बड़ी बचतें रही जो प्राप्त अनुपूरक बजट से लगभग आठ गुना थी। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं के उचित आंकलन के बिना तैयार किए गए जैसा कि अनुच्छेद 3.3.1 में उल्लेखित किया गया है।

विभागों ने मूल प्रावधान के तहत निधियों की उपलब्धता के उपरांत भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के बारे में अवगत नहीं कराया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों से व्यय में विचलन अर्थात् 1447 उप-शीर्षों में बचतों/आधिक्यो का स्पष्टीकरण मांगा गया। तथापि, 610 उप-शीर्षों (बचत: 511 और अधिक्य: 99) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2020)।

चार्ट 3.7: विनियोग लेखों में विचलन के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



बजटीय आवंटन और उनके उपयोग के बीच विचलन के लिए स्पष्टीकरण का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

अवधि वर्ष 2015-2020 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 3.8 में विस्तृत है:

तालिका 3.8: वर्ष 2015-20 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	1,41,232.02	1,74,840.75	1,86,654.01	2,17,433.13	2,39,959.67
अनुपूरक बजट	49,840.66	8,723.44	13,423.49	11,645.19	2,937.12
अनुपूरक बजट की मूल बजट से प्रतिशतता	35.3	5.0	7.2	5.4	1.2
योग	1,91,072.68	1,83,564.19	2,00,077.50	2,29,078.32	2,42,896.79
वास्तविक व्यय	173808.18	166175.87	184087.31	209776.27	218538.79
बचत/आधिक्य	17264.50	17388.32	15990.19	19302.05	24358.00
बचत का प्रतिशत	9.04	9.47	7.99	8.43	10.03
बजट उपयोग	90.96	90.53	92.01	91.57	89.97

अवधि 2015-2020 के दौरान मूल प्रावधानों के समक्ष पूरक प्रावधान 1.2 प्रतिशत से 35.3 प्रतिशत के मध्य रहे। तथापि, वर्ष 2017-18 से मूल प्रावधान के समक्ष अनुपूरक प्रावधान में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान लिये गये अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन सभी वर्षों में बचतें अनुपूरक प्रावधानों से अधिक रही। कुल प्रावधानों के समक्ष, बजट के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत से लेकर 10.03 प्रतिशत के मध्य रही। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रावधानों के उचित आंकलन तथा वित्तीय योजना के निष्पादन में कमी रही।

3.5.2 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान किया गया अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल प्रावधान के विरुद्ध बजट के तहत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत (₹ 15,990.19 करोड़) से लेकर 10.03 प्रतिशत (₹ 24,358 करोड़) के मध्य रही।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पूंजीगत दत्तमत भाग के अन्तर्गत 29 प्रकरणों में अनुपूरक/मूल प्रावधान के समक्ष अनुपयोजित निधियों के शेषों को नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: अनुपूरक/मूल प्रावधान के समक्ष अनुपयोजित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधियां
पूंजीगत (दत्तमत)						
1	009- वन	79.08	0	79.08	60.46	18.62
2	011-विविध सामाजिक सेवाएं	10.71	0	10.71	3.75	6.96
3	012-अन्य कर	24	0	24	12.85	11.15
4	016- पुलिस	174.61	43.09	217.7	150.61	67.09
5	019- लोक निर्माण कार्य	805.24	0	805.24	422.12	383.12
6	020-आवास	90	0	90	26.41	63.59
7	021-सड़कें एवं पुल	3,759.48	0	3,759.48	3300	459.48
8	022- क्षेत्रीय विकास	268.05	0	268.05	131.38	136.67
9	023-श्रम और रोजगार	31	0	31	0.00	31.00
10	024-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	539.22	62	601.22	495.24	105.98
11	026-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	252.08	0	252.08	174.07	78.01
12	027-पेयजल योजना	3,244.50	0	3,244.50	2,221.98	1,022.52
13	028-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	308.25	0	308.25	252.81	55.44
14	029-नगर आयोजना एवं क्षेत्रीय विकास	13,00.87	0	1,300.87	811.25	489.62
15	030-जनजाति क्षेत्र विकास	3190.76	0	3190.76	2,552.84	637.92
16	032-नागरिक आपूर्ति	3.88	0	3.88	0.02	3.86
17	033-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	212.80	58.9	271.7	240.28	31.42
18	035-विविध समुदायिक और आर्थिक सेवाएँ	102.20	51.05	153.25	127.64	25.61
19	036-सहकारिता	10.47	0	10.47	8.78	1.69
20	037- कृषि	246.8	0	246.8	118.39	128.41
21	039-पशुपालन एवं चिकित्सा	26.78	0	26.78	18.04	8.74

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधियां
22	041- सामुदायिक विकास	9.62	0	9.62	1.55	8.07
23	042-उद्योग	95.06	0	95.06	18.71	76.35
24	043- स्वनिज	115.04	58.49	173.53	160.3	13.23
25	046-सिंचाई	1,866.58	30.29	1,896.87	1,635.34	261.53
26	047-पर्यटन	30.88	0	30.88	5.69	25.19
27	048-विद्युत	2,787.48	0	2,787.48	2,570.76	216.72
28	050-ग्रामीण रोजगार	1.42	0.44	1.86	1.80	0.06
29	051-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष्ट संघटक योजना	4,178.83	0	4,178.83	3,194.20	984.63
	योग	23,765.69	304.26	24,069.95	18,717.27	5,352.68

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग (85), लोक निर्माण विभाग (158) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (86) से संबंधित कुल 329 परियोजनाएँ (₹ 49,781.57 करोड़) अपूर्ण रही थी, जिनमें से ₹ 100 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत वाली 12 प्रमुख परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.10: अपूर्ण परियोजनाओं के नाम जिनकी लागत ₹ 100 करोड़ से अधिक है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम (₹100 करोड़ या अधिक अनुमानित लागत वाली)	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत/संशोधित लागत	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2020 तक व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
जल संसाधन विभाग					
1	अनूपगढ़ शाखा आरडी 0 से 40, सूरतगढ़ शाखा आरडी 19.20 से 48 की रिलाईनिंग तथा रावतसर शाखा की सीधी माइनर्स एवं एनडीआर वितरिका	127.13	2019-20	95.92	86
2	अनूपगढ़ शाखा प्रणाली और गोविंदसागर की सास्वी माइनर, कोडिबंध वितरिका, मोमीवाला वितरिका माइनर, स्वरवाला वितरिका, हिसमकी वितरिका मि गोविंद सागर सब माइनर, सुरजांसर माइनर, बस्तावरपुर माइनर और उप-माइनर, डूंगियावाली माइनर, ब्रहनन माइनर, भोपुलपुरा माइनर, रजना माइनर और चिदासर माइनर, सरदारपुरा माइनर, किशनपुरा माइनर, भोजियावाला-II वितरिका, आईजीएमएन, एपीएस आरडी 40-65 तथा आर डी 65-105 की केसरदेसर वितरिका की सीधी प्रणाली का पुनर्वास,	110.05	2019-20	87.27	100
लोक निर्माण विभाग					
3	एनएच -65 पर पेवड शोल्डर सहित चार लेन की विद्यमान किमी 267/500 से किमी 296/070 की चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण (नेत्रा गांव से मंडोर	269.22	2016-17	197.99	100

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम (₹100 करोड़ या अधिक अनुमानित लागत वाली)	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत/संशोधित लागत	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2020 तक व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
	सेक्शन)				
4	NH-12 कोटा-दरा सेक्शन के किमी 256/550 से किमी 289/500 पर सी सी फुटपाथ के साथ पेवड शोल्डर सहित फोर लेन का चौड़ीकरण (राजस्थान राज्य में एपिक मोड़ पर कोटा-झालावाड़ सड़क)	621.43	2018-19	475.75	90
5	राजस्थान राज्य के एपिक मोड़ पर एनएच-65 पर किमी 166/260 से किमी 180/500 तक नागौर बाईपास का निर्माण	155.76	2017-18	159.13	78
6	एपिक मोड़ पर राजस्थान राज्य में एन एच 325 पर चल रही परियोजना को छोड़ते हुए बालोतरा से सांडेराव वाया जालौर पर किमी 58/00 से किमी 91/600 (59.460 से 62.900), (73.120 से 75.920), (82.650 से 83.300 चैनल छोड़ते हुये) पेवड शोल्डर सहित दो लेन का उन्नयन	179.32	2018-19	158.24	90
7	एपिक मोड़ पर राजस्थान राज्य में एन एच 325 पर चल रही परियोजना को छोड़ते हुए बालोतरा से सांडेराव वाया जालौर पर पेवड शोल्डर सहित दो लेन का उन्नयन किमी 118.900 से किमी 156.955 (किमी 151.100 से 154.730 चैनल को छोड़ते हुये)	163.54	2018-19	112.63	97
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
8	चम्बल भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना	913.80	2018-19	792.47	100
9	आपणी योजना चरण- II	971.21	2019-20	845.92	100
10	निवाई जलापूर्ति परियोजना के 191 गावों हेतु आरडब्ल्यूएसएस	142.57	2018-19	111.89	100
11	बस्सी जलापूर्ति परियोजना के 210 गावों के लिए आरडब्ल्यूएसएस	299.55	2018-19	234.07	100
12	डब्ल्यूएसपी बोरबास मंडाना	118.04	2019-20	75.75	100
	योग	4071.62		3,347.03	

स्रोत: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी।

उपरोक्त तालिका के अनुसार, 12 में से सात परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत है, तथापि, कार्यकारी एजेंसियों को बकाया भुगतानों के कारण इन परियोजनाओं की स्थिति अपूर्ण है, जिसके कारण इन परियोजनाओं को राज्य सरकार को नहीं सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताये (मार्च 2021)। यह दर्शाता है कि अन्य अनुदानों के तहत रही बचतें इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रदान नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान बचतों और अपूर्ण परियोजनाओं/योजनाओं के आधार पर अनुदान संख्या 21-‘सड़क एवं सेतु’ का विस्तृत विश्लेषण किया गया जैसाकि नीचे दिया गया है।

अनुदान संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) सामान्यतः सरकारी कार्यालय भवनों, सरकारी आवासीय भवनों और सड़कों के निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों) से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। विभाग का प्रमुख, प्रमुख सचिव, लोनिवि, राजस्थान सरकार है।

अवधि 2017-18 से 2019-20 के दौरान अनुदान के संबंध में बजट प्रावधान, व्यय और बचत की समग्र स्थिति नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.11: अनुदान संख्या 21 के तहत लोक निर्माण विभाग के बजट की तुलना में व्यय
(₹ करोड़ में)

	2017-18		2018-19		2019-20	
	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)
प्रावधान (मू + पू)	2,017.89	4,164.70	1,668.65*	4,929.31*	2,592.21*	3,759.48*
योग	6,182.59		6597.96		6351.69	
व्यय	1,700.22	3,977.81	1,362.34	4,025.55	2,217.59	3,299.51
योग	5,678.03		5387.89		5517.10	
बचत (%)	317.67 (15.74)	186.89 (4.49)	306.21 (18.35)	903.76 (18.33)	374.62 (14.45)	459.97 (12.23)
योग	504.56		1209.97		834.59	
अभ्यर्पण	347.26	190.36	312.67	898.11	939.42	491.69
योग	537.62		1210.78		1431.11	

* राजस्व भाग के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 133.41 करोड़, और 2019-20 के दौरान ₹ 63.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान और पूंजीगत भाग के तहत 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 309.10 करोड़ और मात्र ₹ 1000 का अनुपूरक प्रावधान शामिल है।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 14.45 प्रतिशत से 18.35 प्रतिशत के मध्य और पूंजीगत भाग के अंतर्गत 4.49 प्रतिशत से लेकर 18.33 प्रतिशत के मध्य थी।

पूंजीगत और राजस्व भागों के अंतर्गत समग्र बचतें अनुदान के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक बचतों का स्पष्ट चित्रण नहीं करती है क्योंकि बचतें पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त राशि और आधिक्य व्यय से संतुलित हो जाती है। वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत वास्तविक बचतें 21.32 प्रतिशत से 67.58 प्रतिशत के मध्य और अनुदान के पूंजीगत भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 23.86 प्रतिशत से 35.82 प्रतिशत के मध्य थी। यह संबंधित शीर्षों के तहत निधियों के अत्यधिक आंकलन को इंगित करता है।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक अभ्यर्पित प्रावधानों में महत्वपूर्ण वृद्धि, मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विभाग की विफलता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त,

- यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, राबनि के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखे बिना ₹ 1,027.67 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसके कारण पांच शीर्षों³ के अधीन सम्पूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित कर दिया गया। यह इंगित करता है कि विभाग प्रावधानों की आवश्यकता का आंकलन करने में विफल रहा।
- यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, तीन शीर्षों⁴ में सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित करने के बाद ₹ 602.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया, जो वित्तीय अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।
- लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, 27 योजनाओं/कार्यक्रमों में ₹ 1,868.10 करोड़ की पर्याप्त बचतें हुईं। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.12: योजनाएँ/कार्यक्रम जहाँ उल्लेखनीय बचतें हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	योग	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	3054-02-337-01-02 महत्वपूर्ण और सीमा सड़कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार	173.49	0.00	173.49	100.00
2.	3054-03-337-01-01 राज्य राजमार्गों के तहत सड़कों का संधारण	137.20	114.18	23.02	16.78
3	3054-03-337-03-01 अतिरिक्त परिचालन लागत	1.32	0.09	1.23	93.18
4	3054-03-337-03-02 आधुनिकीकरण	1.65	0.19	1.46	88.48
5	3054-03-337-04-01 अतिरिक्त परिचालन लागत	0.38	0.02	0.36	94.74
6	3054-03-337-04-02 आधुनिकीकरण	1.44	0.00	1.44	100.00
7	3054-80-797-03 केंद्रीय सड़क निधि को स्थानांतरण	750.00	0.00	750.00	100.00
8	3054-80-800-01 इंडियन रोड कांग्रेस और अन्य समकक्ष संस्थान-प्रतिबद्ध	0.70	0.09	0.61	87.14
9	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास के माध्यम से	42.00	0.00	42.00	100.00
10	5054-03-337-05 केंद्रीय सड़क निधि द्वारा वित्तपोषित सड़क	519.38	215.83	303.55	58.44
11	5054-04-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना -I (ए डी बी)	552.42	411.21	141.21	25.56

3. 3054-02-337-01-02 (₹ 173.49 करोड़), 3054-03-337-04-02 (₹ 1.44 करोड़), 3054-80-797-03 (₹ 750.00 करोड़), 5054-02-337-03 (₹ 42.00 करोड़) एवं 5054-04-337-17-01 (₹ 60.73 करोड़)।

4. 3054-02-337-01-02 (₹ 149.82 करोड़), 3054-80-797-03 (₹ 415.17 करोड़) एवं 5054-02-337-03 (₹ 37.74 करोड़)।

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	योग	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
12	5054-04-337-17-01 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	60.73	0.00	60.73	100.00
13	3054-04-800-11-20 नाबार्ड आरआईडीएफ -XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)	276.34	217.19	59.15	21.40
14	5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	480.09	423.52	56.57	11.78
15	5054-04-800-22-01 ग्रामीण सड़कें	67.69	36.56	31.13	45.99
16	5054-03-796-07 केंद्रीय सड़क निधि से प्रतिपूरक सड़कें	96.52	41.37	55.15	57.14
17	5054-03-796-10 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना -I (ए डी बी)	99.40	84.31	15.09	15.18
18	5054-04-796-05 शहरी सड़कें	2.39	1.38	1.01	42.26
19	5054-04-796-06-12 सड़क उन्नयन परियोजना (त्रायोविन्शितत्माह)	5.96	3.27	2.69	45.13
20	5054-04-796-06-13 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)	54.28	41.39	12.89	23.75
21	5054-04-796-06-14 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	11.93	0.00	11.93	100.00
22	5054-04-796-16-01 ग्रामीण सड़कें	13.48	8.09	5.39	39.98
23	5054-03-789-07 केंद्रीय सड़क निधि से प्रतिपूरक सड़कें	134.10	71.54	62.56	46.65
24	5054-03-789-10 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना -I (ए डी बी)	142.01	111.48	30.53	21.50
25	5054-04-789-03 शहरी सड़कें	3.36	1.35	2.01	59.82
26	5054-04-789-04-14 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	15.83	0.00	15.83	100.00
27	5054-04-789-13-01 ग्रामीण सड़कें	17.83	10.70	7.13	39.99
	योग	3,661.92	1,793.76	1,868.09	

सड़कों के निर्माण के लिए, मुख्य शीर्ष 5054 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और जनजातिय क्षेत्र विकास (टीएडी) के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत भी प्रावधान किए गए हैं, जिनकी स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.13: टीएडी और अजा/अजजा के तहत पूंजीगत प्रावधान/व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2017-18		2018-19		2019-20	
	पूंजीगत (टीएडी)	पूंजीगत (अजा/अजजा अंश)	पूंजीगत (टीएडी)	पूंजीगत (अजा/अजजा अंश)	पूंजीगत (टीएडी)	पूंजीगत (अजा/अजजा अंश)
प्रावधान (मू + पू)	822.54	1096.92	792.11	1,097.82	774.68	884.65
व्यय	707.86	1018.60	689.53	998.33	594.74	781.51
बचत	114.68	78.32	102.58	99.49	179.94	103.14
बचत (%)	13.98	7.14	12.95	9.06	23.23	11.68

बचतों की क्षेत्रवार स्थिति

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों (कुछ शीर्षों पर) में बजट आवंटन का उल्लेखनीय हिस्सा अनुपयोजित रहा जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-उपलब्धि को इंगित करता है। यह भी इंगित करता है कि गत वास्तविको पर विचार किए बिना बजट आवंटन किए गए जो राबनि के अनुच्छेद 13.7 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

तालिका 3.14: निरन्तर बचतों की क्षेत्रवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

	बजट	व्यय	प्रतिकूल बचतों के साथ	प्रतिकूल बचतों के अलावा	प्रतिकूल बचतों के सन्दर्भ में बचतों का प्रतिशत
राज्य राजमार्ग					
2017-18	1,827.07	1,593.43	233.64	326.10	17.85
2018-19	2,491.75	1,608.78	882.97	940.31	37.74
2019-20	2,339.19	1,942.67	396.52	609.71	26.06
योग	6,658.01	5,144.88	1,513.13	1,876.12	
जिला सड़कें एवं पुल					
2017-18	3,797.80	3,606.30	191.50	734.82	19.35
2018-19	3,765.79	3,678.63	87.16	805.73	21.40
2019-20	2,487.29	2,339.28	148.01	261.70	10.52
योग	10,050.88	9,624.21	426.67	1,802.25	
निदेशन एवं प्रशासन					
2017-18	418.93	382.93	36.00	36.00	8.59
2018-19	421.3	318.84	102.46	102.46	24.32
2019-20	340.41	310.6	29.81	29.81	8.76
योग	1,180.64	1,012.37	168.27	168.27	

आगे यह देखा गया कि:

- राज्य राजमार्गों के कार्यों के लिए ₹ 6,658.01 करोड़ के प्रावधान के समक्ष, वर्ष 2017-20 के दौरान ₹ 5,144.88 करोड़ (62 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई। विभाग ने सूचित किया कि यह संशोधित अनुमान में कमी, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, कोविड 19 महामारी के कारण अधिकांश ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने, आदि कारणों से हुई।
- वर्ष 2017-20 के दौरान, जिला और अन्य सड़कों के लिए ₹ 10,050.88 करोड़ की राशि का बजट रखा गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 9,624.21 करोड़ व्यय किया गया।
- **प्रतिशतता प्रभार:** लोनिवि द्वारा पूंजीगत परियोजनाओं पर लगाए गए अपने संसाधनों और उपकरण और संयंत्रों की लागत के लिए प्रतिशतता प्रभार लिया जाता है। एक निश्चित दर से परियोजना की कुल लागत के ऊपर प्रतिशतता प्रभार लगाया जाता है। प्रतिशतता प्रभार के तीन घटक हैं; (i) स्थापना प्रभार (8 प्रतिशत), जो निजी संवेदकों जिन्हें परियोजनायें आवंटित की गई है के कार्य की समयबद्ध प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोनिवि द्वारा लगाए जाते हैं, (ii) उपकरण और संयंत्रों की लागत (2 प्रतिशत) और (iii) लोनिवि के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की स्थापना लागत प्रभार (3 प्रतिशत)। जिस दर पर सभी प्रतिशतता प्रभारों की गणना की जानी है वह राजस्थान सरकार के लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में निर्दिष्ट है।

प्रत्येक कार्य/परियोजना की कुल लागत की गणना प्रतिशतता प्रभार शामिल करने के बाद की जाती है। वर्ष 2017-2020 के दौरान, पूंजीगत कार्यों के लिए प्रतिशतता प्रभार सहित ₹ 3,592.69 करोड़ का अनुमान किया गया था। जिसमें से, ₹ 2,080.58 करोड़ की राशि पूंजीगत कार्यों/परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुमानित की गई, जिसके समक्ष ₹ 1,651.53 करोड़ की राशि व्यय हुई, परिणामस्वरूप ₹ 429.05 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1,512.11 करोड़ की एक राशि को कार्य/प्रतिशतता प्रभार के रूप में अनुमानित किया गया था जिसके समक्ष ₹ 1,249.56 करोड़ की राशि व्यय की गई। यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता प्रभार के लिए ₹ 34.34 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुमान के स्तर तक नहीं हुआ था। प्रतिशतता प्रभार के अन्तर्गत दर्ज किए गए कम व्यय विभाग के स्तर पर पूंजीगत परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन में कमी को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप बचतें हुईं।

इस प्रकार, वर्ष 2017-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध उल्लेखनीय बचतें एक सतत प्रवृत्ति थी, जो विभाग द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत निधियों की आवश्यकता के अति-आंकलन और व्यय के उचित अनुश्रवण की कमी का सूचक है। पूंजीगत परियोजनाओं पर कम व्यय भी इंगित करता है कि विभाग द्वारा प्रस्ताव उचित योजना के बिना तैयार किए गए।

अनुदान में टोकन प्रावधान: राबनि के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, उसे संबंधित विभाग की अनुदान मांगों से हटा दिया

जाना चाहिए। अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक, अनुदान के तहत कुल 210 शीर्षों में से 36 (17.14 प्रतिशत) में टोकन प्रावधान किया गया, जो पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान किये टोकन प्रावधान बने रहे और वित्तीय वर्ष के अंत में सभी शीर्षों के टोकन प्रावधानों को अभ्यर्पित कर दिया गया। यह इंगित करता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय योजना के निष्पादन की कमी थी। इस संबंध में संबंधित बजट शीर्षों के बजट नियंत्रण अधिकारियों का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

पीडब्लूएफ एंड एआर के नियम 285 (ए) और (बी) प्रावधान करते हैं कि (i) किसी कार्य के लिए एक परियोजना से जुड़े चार मुख्य चरण हैं, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और विनियोग या निधियों का पुनर्विनियोजन; (ii) बजट आवंटन के बाद प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वेक्षण, जांच, परामर्श सेवाओं सहित विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग, भूमि का अधिग्रहण जैसे प्रारंभिक कार्यों पर व्यय की मंजूरी दी जा सकती है। प्रत्येक विभाग में ऐसे कार्यों के लिए अलग से बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए। सभी तकनीकी और कार्य के विवरणों को पूरा करने और सर्वेक्षण और जांच के पूरा होने के बाद, कार्य की ड्राइंग/डिजाइन तैयार करने, विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार और स्वीकृत किए जाने चाहिए।

वित्त लेखों के अनुसार सड़क कार्यों की भौतिक प्रगति नीचे दी गई है:

- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यह देखा गया कि कुल 129 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने थे, जिनमें से 6 परियोजनाएं 2010-15 और 123 परियोजनाएं 2015-2020 की अवधि से सम्बन्धित थीं। कार्यों की भौतिक प्रगति नीचे दी गई है:

तालिका 3.15: कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिशतता में

	प्रगति प्रतिशत में					
	0 से 10	10 से 30	30 से 50	50 से 70	70 से 90	90 से 100
परियोजनाओं की संख्या	7	18	11	15	17	61

विभाग द्वारा अधिकांश कार्यों के अपूर्ण रहने के लिए दिए गए विभिन्न कारणों में उपयोगिता शिफ्टिंग/ अतिक्रमण/कोर्ट केस के कारण विलम्ब, लंबित वन्य जीव अनुमति, बजट की कमी, एजेंसी के स्तर पर विलम्ब और भूमि विवाद इत्यादि शामिल हैं। कार्यों का कम निष्पादन एवं धीमी प्रगति विभाग के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

कुछ परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है जहां बजट प्रावधान या स्वीकृतियों की कमी के कारण निष्पादन प्रभावित रहा:

तालिका 3.16: कुछ परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्य की लागत	प्रारंभ वर्ष	पूर्णता वर्ष	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय
1.	मांगरोल बमोरी कलां से एम पी बॉर्डर (एस एच-198) किमी 2/500 से 15/500 का नवीकरण /सुदृढ़ीकरण।	20.00	2018-19	2019-20	0.00	0.00
2.	बूंदी बायपास का निर्माण एस एच-29 किमी 95/500 से एन एच-12 (नया NH-52)	40.00	2018-19	2020-21	5.84	5.84
3.	झुंझुनू चिड़ावा रोड (एस एच -37) का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण	20.00	2017-18	2019-20	5.80	6.89
4.	धौलपुर आठ मील पुराने एन एच-118 पर एयर स्ट्रिप रनवे का निर्माण	30.48	2017-18	2020-21	0.00	15.52
5.	धौलपुर राजाखेड़ा रोड एस एच 2-ए किमी 2/0 से 14/0 और 24/0 से 44/200 का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण	52.00	2017-18	2020-21	0.00	12.97
6.	मांगरोल-सीसवाली सीमेंट कंक्रीट रोड़ (एस एच - 51ए) पर फुटपाथ का उठाव और पुनर्निर्माण किमी0/0 से 14/0 तक	30.00	2017-18	2018-19	2.90	6.10
7.	टपूकड़ा से मिलकपुर किमी 0/0 से 7/500	15.77	2017-18	2019-20	3.75	12.61
8.	अलीपुर-खेड़ी-कानपुर दगरानपुर निमलका कलगावं हिन्गवाहेड़ा तिजारा फिरोजपुर झिरका सड़क	38.42	2017-18	2019-20	4.97	7.63

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में से अधिकांश पूर्ण हो गई, तथापि, कार्यकारी एजेंसियों को बकाया भुगतान के कारण इन परियोजनाओं को सरकार को नहीं सौंपा गया है जो कि सरकार द्वारा आवश्यक निधियों के प्रावधान की कमी को इंगित करता है।

सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखों की जांच से प्रकट होता है कि इन वर्षों के दौरान, समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए और विभिन्न अनुदानों के तहत निरन्तर बचतें रही, जिनका उपयोग इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता था।

अपूर्ण रह गई परियोजनाओं के कारण परियोजना लागत में वृद्धि के अलावा इन परियोजनाओं/योजनाओं का अपेक्षित लाभ जनता को प्रदान नहीं हो सका।

3.5.3 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्त पोषण

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान, 165 योजनाओं/शीर्षों के अन्तर्गत किए गए संपूर्ण प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) ₹ 2,766.38 करोड़ उपयोग नहीं किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग नहीं किए गए बजट प्रावधानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 33 योजनाओं में बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और 54 योजनाओं में टोकन बजट प्रावधान किए गए थे। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं और आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा अवगत कराये गए विभिन्न कारणों में योजनाओं का क्रियान्वयन न होना, निर्माण कार्य का निष्पादन न करना, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना, कार्य प्रारम्भ करने में लोनिवि की विफलता के कारण स्वीकृति का निरस्त होना, कार्य का निष्पादन न करना, वेतन और भत्तों पर कम व्यय, बजट सीमा में कमी, राज्य सरकार से स्वीकृति का अभाव, कोविड लॉकडाउन के कारण परियोजना का क्रियान्वयन न होना, नए निर्माण के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति का अभाव, उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्राप्त न होना आदि शामिल हैं।

आगे, यह भी देखा गया कि संबंधित विभाग के अनुदानों की मांगों से हटाए बिना जैसा कि राबनि द्वारा प्रावधित था, गत तीन वर्षों से निरन्तर अनावश्यक प्रावधान किए जाने के मामलें थे और वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किया जा रहा था। ऐसे उदाहरणों को **परिशिष्ट 3.7** में सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बजट जुलाई 2019 में प्रस्तुत करते हुए, राज्य सरकार ने प्रमुख योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। संबंधित विभागों ने इनमें से कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों पर अद्यतन प्रगति से अवगत कराया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित परियोजनाओं/नीतिगत पहलों के संबंध में, सीमित या कोई प्रगति नहीं थी:

तालिका 3.17: प्रमुख परियोजनाएं/नीतियां

बजट भाषण का अनुच्छेद	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति
102	चिकित्सा शिक्षा	जोधपुर में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए ₹ 31 करोड़ की लागत से एक लीनियर एक्सीलरेटर मशीन की स्थापना की जाएगी।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर एवं दिसम्बर 2020) पी पी पी मोड के माध्यम से मशीन की स्थापना के लिए दो बार निविदाएं आमंत्रित की गईं लेकिन कोई बोली नहीं लगी। आगे सूचित किया कि बजट 2020-21 में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (मथुरा दास माथुर अस्पताल, जोधपुर) के चरणवार निर्माण की (घोषणा सं. 28) घोषणा की और लीनियर एक्सेलरेटर मशीन की खरीद क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के निर्माण के बाद की जावेगी। तथ्य यह है कि बजट 2019-20 की घोषणा संख्या 102 के अनुसार लीनियर एक्सेलरेटर

बजट भाषण का अनुच्छेद	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति
			मशीन की खरीद एवं स्थापना नहीं की जा सकी।
117	जनजाति क्षेत्र विकास	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और व्यक्तित्व विकास हेतु जयपुर में ₹ 10 करोड़ की लागत से करियर परामर्श केंद्र शुरू किया जाएगा।	विभाग ने अवगत कराया (नवम्बर 2020) कि ₹ 4.46 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है।
124	शिक्षा	स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए “सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढीकरण योजना” के अंतर्गत लिए 14,000 से अधिक अतिरिक्त कमरों का निर्माण, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, 23 नए स्कूल भवन, 83 भवनों का मरम्मत कार्य किया जायेगा। इन कार्यों पर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,581 करोड़ का व्यय होगा।	लेखा परीक्षा द्वारा मांगे जाने पर भी कार्यान्वयन की स्थिति प्रदान नहीं की गई (मार्च 2021)।
150	पर्यटन	पर्यटन के विकास के लिए ऐतिहासिक किले लोहागढ़ भरतपुर में एक लाइट एंड साउंड शो, कुल ₹ 2.50 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा।	वर्ष 2019-20 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। कार्यकारी एजेंसी आरएचपीपीए के पीडी स्वाते में स्थानांतरण के लिए मात्र ₹ 30 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2020 में दी गई थी। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।
155	कला और संस्कृति	राजस्थान के लेखकों, कवियों, विचारकों, कलाकारों आदि को एक मंच प्रदान करवाने के लिए जयपुर में एक ‘राजस्थानी साहित्य महोत्सव’ का आयोजन होगा। इस प्रयोजन के लिए ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।	वर्ष 2019-20 में साहित्य महोत्सव नहीं हुआ। विभाग द्वारा सितम्बर 2020 तक स्थल एवं तिथि का अन्तिमिकरण नहीं किया गया था।
171	राजस्व और सैनिक कल्याण	जिला कलेक्टरों के अधीन प्रत्येक जिले में ‘मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि’ बनाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे।	लेखा परीक्षा द्वारा मांगे जाने पर भी कार्यान्वयन की स्थिति प्रदान नहीं की गई (मार्च 2021)।
174	आपदा प्रबंधन,	राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में आग की	यह स्वायत्त शासन विभाग एवं नागरिक

बजट भाषण का अनुच्छेद	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति
	राहत और नागरिक सुरक्षा	घटनाओं को देखते हुए वर्ष 2019-20 में ₹ 26.00 करोड़ की लागत से 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।	सुरक्षा विभाग से सम्बंधित है। वर्ष 2019-20 में कोई स्वीद नहीं की गई थी। सम्बंधित विभागों ने अवगत कराया (सितम्बर 2020) कि स्वीकृतियां जून 2020 में पुर्ननवीनीकृत की जा चुकी है और निविदा प्रक्रिया जारी है।

बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की कमी, बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों के अनुश्रवण और अनुसरण की कमी की सूचक है।

3.5.4 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना स्वस्थ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। राबनि के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए।


वर्ष 2019-20 के दौरान, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय (₹ 2,13,491 करोड़) का 33.04 प्रतिशत (₹ 70,536 करोड़) व्यय किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा जा सका था। यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 2,01,978 करोड़) में से 32.75 प्रतिशत (₹ 66,150 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में 2.11 प्रतिशत (₹ 1,519 करोड़) की गिरावट आई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 अनुदानों के अन्तर्गत 52 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में, कुल व्यय ₹ 18,246.54 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया जो कि कुल व्यय (₹ 18,825.92 करोड़) का 96.92 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 18,058.26 करोड़ (95.92) अकेले मार्च 2020 में व्यय किया गया था जैसाकि **परिशिष्ट 3.8** में विस्तृत है।

वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित **चार्ट 3.8** में दिया गया है।

चार्ट 3.8: वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण का मासिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)



चार्ट से पता चलता है कि प्राप्तियाँ और व्यय फरवरी 2020 तक लगभग सभी महीनों में समान रूप से वितरित किए गए थे। तथापि, वर्ष के शेष महीनों की तुलना में मार्च 2020 के महीने में प्राप्तियाँ और व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने मार्च के महीने में कुल व्यय ₹ 2,13,491 करोड़ के लगभग 20.40 प्रतिशत ₹ 43,562 करोड़ का व्यय किया।

संयोग से, वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित/जमा किए गए ₹ 33,827.12 करोड़ में से, ₹ 4,936.18 करोड़ (14.59 प्रतिशत) मार्च, 2020 में ही हस्तांतरित किए गए, जैसा कि अनुच्छेद 3.5 में विस्तृत है।

सात मुख्य शीर्षों का विवरण, जहां मार्च महीने के दौरान किया गया व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, नीचे तालिका 3.18 में दिया गया है:

तालिका 3.18: वर्ष 2019-20 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या/लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.67	1.48	0.26	589.10	591.51	587.25	99.28
2.	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.58	2.79	2.66	24.78	32.81	22.95	69.95
3.	2801	ऊर्जा	2,718.69	3,095.41	515.38	16,404.95	22,734.43	15,479.98	68.09
4.	2852	उद्योग	14.01	16.74	17.38	160.71	208.84	147.44	70.60
5.	4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	19.89	19.89	15.93	80.09


6.	4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	134.64	373.36	273.19	1348.81	2130	1296.77	60.88
7.	5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय शोध पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.15	0.63	0.78	0.60	76.92
			2,870.59	3,489.78	809.02	18,548.87	25,718.26	17,550.92	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

मार्च माह में व्यय का उच्च प्रतिशत वाले उद्योग विभाग के मुख्य शीर्ष 2852 का माह-वार व्यय चार्ट 3.9 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 3.9: मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग का माह-वार व्यय

(₹ करोड़ में)



वर्ष के अंतिम महीने में किया गया भारी व्यय, व्यय/प्राप्तियों पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को इंगित करता है। विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति का अनुश्रवण कर सकता है और व्यय का एक समान प्रवाह बनाए रख सकता है।

3.5.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

एक विशेष अनुदान का विस्तृत विश्लेषण करने की दृष्टि से अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का चयन विगत तीन वर्षों के लिए बजटीय अनुमान के विरुद्ध व्यय के आधार पर किया गया है। इस विश्लेषण के अंतर्गत बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के पश्चात आधिक्य व्यय, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं करना, निरंतर बचतें तथा इन अनुदानों के तहत विगत बजट भाषणों की योजनाओं की स्थिति पर कई टिप्पणियाँ शामिल हैं।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

विकास, समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों के साथ वर्तमान सामाजिक संरचना और रहन-सहन से बेहतर और विकसित सामाजिक संरचना से सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक विकास/सामाजिक कल्याण एक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और इसे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है, जैसे “राज्य की जनता के कमजोर वर्गों विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा”।

अनुदान संख्या 33 का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार (रास) के अधीन है। वर्ष 2017-20 के दौरान बजटीय स्थिति, व्यय और बचत की समग्र स्थिति का विवरण नीचे **तालिका 3.19** में दिया गया है:

तालिका 3.19: बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2017-18				2018-19				2019-20			
	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व	5,139.87	4,902.68	237.19 (4.61%)	216.56	6,453.76	5,912.99	540.77 (8.38%)	507.73	7942.83	7,476.66	466.17 (5.87%)	424.25
पूंजीगत	237.63	188.24	49.39 (20.78%)	49.39	202.07	161.51	40.56 (20.07%)	40.41	271.69	240.28	31.41 (11.56%)	31.41
योग	5,377.50	5,090.92	286.58	265.95	6,655.83	6,074.50	581.33	548.14	8,214.52	7,716.94	497.58	455.66

इस अनुदान के अंतर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 4.61 प्रतिशत से 8.38 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 11.56 प्रतिशत से 20.78 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व भाग के अंतर्गत ₹ 466.17 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की अंतिम बचतों में से राशि ₹ 41.92 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई।

उल्लेखनीय बचतें

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 योजनाएं/कार्यक्रम जहां प्रावधान अत्यधिक किए गए थे और बचतें (₹ एक करोड़ और अधिक) कुल अनुदान/विनियोग के 30 प्रतिशत से अधिक थी। इन योजनाओं में, कुल ₹ 394.55 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें थी, विवरण नीचे **तालिका 3.20** में दिया गया है:

सारणी 3.20: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू + पू)	व्यय	बचत (बचत का प्रतिशत)	बचत के कारण
1.	2225-01-793-01 अनुसूचित जाति घटक योजना, अनुसूचित जाति उप परियोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता।	60.00	34.63	25.37 (42)	लोगों में योजना के बारे में रुचि नहीं थी क्योंकि पूर्व की तुलना में आर्थिक सहायता कम थी तथा बैंकों द्वारा ऋण कम स्वीकृत किये थे।
2.	2225-03-196-13-03 देवनारायण गर्ल्स स्टूडेंट स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना के लिए अनुदान	7.50	0.29	7.21 (96)	वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती।
3.	2225-04-800-01-01 राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान	3.93	0.34	3.59 (91)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
4.	2235-02-103-05-14 महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	6.31	1.66	4.65 (74)	सीमा में कटौती और प्रशिक्षण का विलम्ब से प्रारंभ होना।
5.	2235-02-103-12 महिला स्वयं सहायता समूह संस्थाएँ	2.85	1.35	1.50 (53)	कोषालय द्वारा बिल पारित किये जाने के बाद राशि का भुगतान न करना।
6.	2235-02-103-23-01 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से उज्ज्वला योजना	2.07	0.01	2.06 (100)	लाभार्थी संस्थानों द्वारा आवश्यक अभिलेख और निरीक्षण/जाँच समिति की रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण।
7.	2235-02-196-02-36 महिला शक्ति केंद्र	3.72	1.06	2.66 (72)	वित्त विभाग से अस्थायी संविदा पदों के लिए स्वीकृति प्राप्ति में विलम्ब।
8.	2235-02-196-05-02 संयुक्त सहायता कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ के लिए अनुदान	2.05	0.80	1.25 (61)	लाभार्थियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अंग उपकरणों के वितरण के लिए शिविरों का आयोजन नहीं होना।
9.	2235-02-196-22-06 पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5.00	1.71	3.29 (66)	लाभार्थियों से पात्र आवेदन पत्रों की कम संख्या में प्राप्ति।
10.	2235-60-800-03-01 मिसा/डीआईआर पेंशनरों को पेंशन	47.00	22.62	24.38 (52)	पेंशन की कम निकासी और अक्टूबर 2019 से पेंशन बंद करना।
11.	2236-02-101-01-01 समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से पोषाहार क्रेष कार्यक्रम	265.28	145.52	119.76 (45)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
12.	2236-02-101-01-12	25.00	2.52	22.48	विभाग द्वारा कारण सूचित

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू +पू)	व्यय	बचत (बचत का प्रतिशत)	बचत के कारण
	राजीव गाँधी किशोरी बालिका उत्थान एवं पोषण योजना			(90)	नहीं किये गए।
13.	2236-02-101-01-17 राष्ट्रीय पोषण मिशन	131.87	42.66	89.21 (68)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
14.	2236-02-101-01-18 प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना	98.59	52.30	46.29 (47)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
15.	4225-04-102-01-01 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	60.44	37.64	22.80 (38)	बजट विभाग से स्थानांतरण आदेश न मिलने के कारण कार्यकारी एजेंसी को राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया।
16.	4235-02-800-10-01 रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण.	15.81	4.12	11.69 (74)	पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से विकलांगों के लिए रैंप और लिफ्ट के निर्माण से संबंधित कार्य का कम निष्पादन।
17.	4236-02-800-03 भवन निर्माण	3.00	0.78	2.22 (74)	जिला परियोजना कार्यालयों और आंगनबाड़ी
18.	4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	13.96	9.82	4.14 (30)	केंद्र भवनों हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता।
कुल		754.38	359.83	394.55	

बजट आवंटन के विरुद्ध उल्लेखनीय बचतें संकेत देती हैं कि बजट निर्माण/अनुदानों की माँगें तैयार करने और अनुश्रवण के बारे में राबनि के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

निरन्तर बचतें

अनुदान की लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरन्तर बचत वाली योजनायें (₹ एक करोड़ से अधिक प्रावधान) थीं जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.21: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत देखी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2225-01-793-01 अनुसूचित जाति घटक योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	2017-18	60.00	59.86	0.14	0.24
	2018-19	60.00	0.14	59.86	99.77
	2019-20	60.00	34.63	25.37	42.29
2225-03-196-06-05 देवनारायण योजना के तहत (शिक्षा विभाग के माध्यम से) विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (प्रारंभिक शिक्षा विभाग)	2017-18	9.65	7.05	2.60	26.95
	2018-19	10.00	6.70	3.30	33.00
	2019-20	7.00	5.28	1.72	24.50
2225-04-800-01-01	2017-18	4.23	1.72	2.51	59.38

शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
उप-सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से राजस्थान वक्फ़ बोर्ड को अनुदान	2018-19	4.65	0.80	3.85	82.81
	2019-20	3.93	0.34	3.59	91.35
2235-02-103-05-14 महिलाओं के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स	2017-18	8.16	5.15	3.01	36.94
	2018-19	6.16	3.92	2.24	36.34
	2019-20	6.31	1.66	4.65	73.68
2235-02-103-12 महिला स्वयं सहायता समूह संस्थाएँ	2017-18	2.40	1.44	0.96	39.96
	2018-19	2.88	1.44	1.44	50.15
	2019-20	2.85	1.35	1.50	52.59
2235-02-196-02-33 चिराली योजना	2017-18	1.40	0.58	0.82	58.49
	2018-19	3.13	0.20	2.93	93.71
	2019-20	1.27	0	1.27	100.00
2236-02-101-01-02 समेकित बाल विकास योजना	2017-18	139.34	97.93	41.41	29.72
	2018-19	159.98	104.16	55.82	34.89
	2019-20	150.24	79.65	70.59	46.98
2235-02-196-22-06 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2017-18	5.00	0.94	4.06	81.19
	2018-19	5.00	1.28	3.72	74.44
	2019-20	5.00	1.71	3.29	65.76
2236-02-197-01-02 खंड/मध्यवृत्ति पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय	2017-18	513.85	502.17	11.68	2.27
	2018-19	860.95	619.92	241.03	28.00
	2019-20	817.94	687.04	130.90	16.00
4225-04-102-01-01 निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2017-18	55.42	55.27	0.15	0.27
	2018-19	61.61	48.87	12.74	20.67
	2019-20	60.44	37.64	22.80	37.72
4225-04-800-01-01 निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से छात्रावास भवन का निर्माण	2017-18	5.00	0.62	4.38	87.64
	2018-19	4.00	0.40	3.60	90.09
	2019-20	4.17	0.00	4.17	100.00
4235-02-800-10-01 विकलांगता अधिनियम के तहत लोगों के लिए रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण	2017-18	7.00	0.47	6.53	93.25
	2018-19	32.00	21.98	10.02	31.32
	2019-20	15.81	4.12	11.69	73.95
4236-02-800-03 भवन निर्माण	2017-18	5.00	1.24	3.76	75.27
	2018-19	5.00	0.40	4.60	92.07
	2019-20	3.00	0.78	2.22	73.94
4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन मोड़ के तहत आँगन बाड़ी केन्द्रों का निर्माण	2017-18	46.06	4.11	41.95	91.08
	2018-19	13.96	0.00	13.96	100.00
	2019-20	13.96	9.82	4.14	29.66
4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन के तहत क्रेच निर्माण सहित आँगन बाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत	2017-18	27.20	13.02	14.18	52.13
	2018-19	16.16	0.00	16.16	100.00
	2019-20	4.69	3.70	0.99	21.23

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बचत के मुख्य कारण जैसे पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से विकलांगों के लिए रैंप और लिफ्ट निर्माण से संबंधित कार्यों का कम निष्पादन, बाड़मेर में छात्रावास भवन की भूमि पर अतिक्रमण, कोषालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बिलों का पारित नहीं

करना, पदों का रिक्त रहना, जिला/परियोजना कार्यालयों और आंगन बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता और वर्ष 2019-20 में चिराली योजना को बंद होना बताये।

निरन्तर बचतें यह दर्शाती हैं कि बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे और विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

राबनि के अनुसार, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस अनुदान के अंतर्गत प्रकरण, जहां सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे, नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.22: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	कुल (पू+मू)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
1.	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति	2.21	0	2.21	100.00
2.	2235-02-196-02- 33 चिराली योजना	1.27	0	1.27	100.00
3.	2235-02-196-19-04 जनश्री बीमा योजना के लिए बीपीएल परिवारों को अनुदान	1.92	0	1.92	100.00
4.	2235-02-196-19-18 जन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बीपीएल परिवारों को सहायता	12.48	0	12.48	100.00
5.	2235-02-196-21-06 पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	0.93	0	0.93	100.00
6.	4225-04-800-01-01 छात्रावास भवन का निर्माण	4.17	0	4.17	100.00
7.	4235-02-103-09 महिला स्वयं सहायता समूह भवन का निर्माण	1.00	0	1.00	100.00
8.	4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवनों का निर्माण	7.00	0	7.00	100.00
9.	6225-03-800-01 राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और सहकारी निगम को ऋण	1.00	0	1.00	100.00
योग		31.98	0	31.98	

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (फरवरी 2021) कि निधियों के अनुपयोजित रहने के कारण मुख्यतः केंद्र और राज्य के हिस्से का भारतीय जीवन बीमा निगम को हस्तांतरण नहीं होना, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होना, छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होना और ऋण वितरण के लिए वित्त विभाग को अपर्याप्त हिस्सा राशि जारी करना रहे।

यह इंगित करता है कि बजट प्रावधान को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना एक तदर्थ आधार पर तैयार किया गया।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कुछ बजट शीर्षों में राबनि के सिद्धांतों को ध्यान में रखे बिना पिछले तीन वर्षों से निरन्तर प्रावधान किए जा रहे थे, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किए गये, जैसा कि **तालिका 3.23** में दिया गया है:

तालिका 3.23: गत तीन वर्षों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
1.	2225-03-196-18-01 छात्रावास में रहने वालों को साईकिल वितरण	0.50	0.25	0.25
2.	2225-04-190-03 राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम को ब्याज पर अनुदान	0.20	0.20	0.50
3.	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति	10.60	7.35	2.21
4.	2235-02-196-19-14 भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों के पुनर्वास के लिए अनुदान	0.20	0.10	0.05
5.	4235-02-103-09 महिला स्वयं सहायता समूहों के भवन का निर्माण	0.12	0.12	1.00
6.	4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवनों का निर्माण	7.00	8.00	7.00
	योग	18.62	16.02	11.01

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (फरवरी 2021) कि साईकिल आपूर्ति के लिए संवेदकों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेन, गैर-सरकारी संघठनों से पुनर्वास गृहों के संचालन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना और छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करना, अनुपयोजन के कारण थे।

पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण के बाद व्यय

राबनि के अनुसार संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी विनियोग के अभ्यर्पण के बाद हुए किसी भी व्यय के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन कर पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के बाद बजट शीर्ष 2235-60-800-03-01-मिसा/डीआईआर कैदियों (प्रतिबद्ध) को पेंशन से सम्बन्धित राशि ₹ 13.83 लाख व्यय की गई।

अनुदान में टोकन प्रावधान

यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2019-20 में, इस अनुदान के तहत कुल 313 शीर्षों में से 93 शीर्षों में जिनमें टोकन प्रावधान किया गया था, जो कि टोकन प्रावधानों के रूप में बने हुए थे एवं वित्तीय वर्ष के अंत में

टोकन प्रावधान या तो अभ्यर्पित किये गये या बजट अंतिमीकरण समिति (बीएफसी) की बैठक के दौरान संशोधित अनुमानों में शून्य कर दिये गये।

गत बजट भाषण में घोषित योजनाओं की स्थिति

बजट भाषण घोषणाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण **तालिका 3.24** में दिया गया है:

तालिका 3.24: गत बजट भाषण में प्रमुख योजना की घोषणाएँ

क्र.सं.	बजट भाषण में की गई संक्षिप्त घोषणाएँ	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	<p>वर्ष 2015-16 के बजट भाषण के दौरान, राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चयनित ब्लॉकों में ₹ 44.75 करोड़ का प्रस्ताव रखा, जहां अधिकांश आबादी अल्पसंख्यकों की थी:</p> <ol style="list-style-type: none"> जैसलमेर जिले के सम ब्लॉक में चार और सकरा ब्लॉक में 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण। अलवर जिले के किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़; नगर-भरतपुर जिले; सेदवा (चौहटन), बाड़मेर जिला; हनुमानगढ़ जिले और टोंक जिले में 6 आईटीआई भवनों का निर्माण। ₹ 9 करोड़ की लागत से जोधपुर, कोटा, रामगढ़ (अलवर) और फतेहपुर (सीकर) में चार नए छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाना था। 	<p>विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि:</p> <ol style="list-style-type: none"> लक्ष्य (14) के विरुद्ध, 13 जन स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के कार्य पूर्ण कर लिए थे जिन पर ₹ 3.08 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 2.20 करोड़ व्यय किया गया था। इसके अलावा, एक काम निरस्त कर दिया गया था। पांच आईटीआई भवनों के निर्माण कार्य पूरे किए गए, जिसके लिए स्वीकृत राशि ₹ 28.32 करोड़ के विरुद्ध ₹ 24.49 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अलावा, टोंक जिले में एक काम चल रहा है। लक्ष्य (4) के विरुद्ध, तीन छात्रावास भवनों को पूर्ण कर लिया गया, जिसके लिए ₹ 7.08 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 5.92 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अलावा एक काम फतेहपुर (सीकर) शुरू नहीं हो सका।
2.	<p>बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 82 छात्रावासों की चारदीवारी, 41 छात्रावासों में शौचालय, 27 छात्रावासों में स्नानघर आदि के लिए ₹ 7.98 करोड़ का प्रस्ताव किया।</p>	<p>विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि प्रस्तावित राशि ₹ 7.98 करोड़ के विरुद्ध, 74 कार्यकारी एजेन्सियों (पंचायत समितियों तथा नगर निकायों) को ₹ 4.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी थी और राशि उनके पीडी स्वातों में हस्तांतरित की गई है। इनमें से, ₹ 1.06 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र कार्यकारी एजेन्सियों से प्राप्त कर लिए गए थे।</p>
3.	<p>बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत जैसंदर में 280 छात्राओं की क्षमता वाले दो निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों (एक अनुसूचित के लिए तथा एक सभी वर्गों की छात्राओं जाति के छात्रों के लिए) के संचालन के लिए ₹ 4.44 करोड़ प्रस्तावित किया।</p>	<p>विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जिला न्यायाधीश, बाड़मेर से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर शैक्षिक सत्र 2021-22 से विद्यालय संचालित किये जा सकते हैं। तथ्य यह है कि विद्यालय संचालित नहीं किये जा सके जबकि शैक्षिक सत्र 2016-17 से विद्यालय के संचालन की घोषणा की गयी थी।</p>
4.	<p>बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने आगामी 3 वर्षों के लिए सरकारी भवनों में संचालित किए जा रहे आंगन बाड़ी केंद्रों के सुदृढीकरण और रखरखाव के लिए ₹ 75 करोड़ का प्रस्ताव किया।</p>	<p>विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि वर्ष 2016-17 के दौरान लक्ष्य (4,381) के विरुद्ध 2,296 कार्य पूर्ण किए गए और जिसके विरुद्ध ₹ 20.95 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अलावा, 670 कार्य शुरू नहीं किए जा सके। वर्ष</p>

क्र.सं.	बजट भाषण में की गई संक्षिप्त घोषणाएँ	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
		2017-18 के दौरान, ₹ 16.84 करोड़ की राशि जिला परिषद के पीडी स्वातों में हस्तांतरित की गई, जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 1.09 करोड़ व्यय किए गए और लक्ष्य (2,265) के विरुद्ध 122 कार्य पूर्ण किए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। तीन वर्षों में, प्रस्तावित कुल ₹ 75 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 48.42 करोड़ स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 22.05 करोड़ व्यय किए गए और 6,646 कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 2,418 कार्य पूर्ण किए गए हैं।
5.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए आकस्मिक निधि के रूप में ₹ एक करोड़ के साथ “दिव्यांग कोष” की स्थापना की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन में विकलांग अधिनियम 2016 की धारा 101 के तहत प्रारूप नियम तैयार किये जा रहे हैं और राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है जिसके बाद “दिव्यांग कोष” की स्थापना की जाएगी।
6.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में प्रत्येक छात्रावास में 100 लड़कियों की क्षमता के (प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही है) बहुउद्देश्य छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 12 करोड़ का प्रस्ताव किया।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छात्रावासों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर 2020 में जारी की गई है। डूंगरपुर जिले में कॉलेज परिसर में छात्रावास (पहले से निर्मित छात्रावास) संचालित है।
7.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए जो बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, के लिए दो अलग आवासीय छात्रावासों की स्थापना के लिए ₹ 8 करोड़ का प्रस्ताव रखा।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि जनवरी 2019 में वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। अगस्त 2020 तक मात्र ₹ 3.14 करोड़ की राशि व्यय की गई थी। कार्यकारी एजेंसी (राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड) द्वारा कार्य निर्धारित तिथि 27 दिसम्बर 2019 के विरुद्ध जून 2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।
8.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति क्षेत्रों में खेल के प्रदर्शन में सुधार के लिए पांच खेल छात्रावासों का खेल अकादमियों के रूप में उन्नयन करने के लिए ₹ 5 करोड़ का प्रस्ताव दिया।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि मई 2018 में कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेंसी (स्वच्छ परियोजना) द्वारा तकनीकी अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण कार्य की धीमी गति और बजट भाषण घोषणाओं की असंतोषजनक प्रगति का संकेत देता है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर निधियों का कम/उपयोग नहीं करना न केवल आगामी वर्षों में राजकोषीय बोझ को बढ़ाता है, बल्कि देरी और लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने का कारण भी बनता है।

3.6 प्रशंसनीय कदम

बजट प्रबंधन के पहलू जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रगति की गई नीचे दिए गए हैं:

- गत वर्षों की तुलना में अनुपूरक अनुदान पर कम जोरा।
- गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी अनुदान में बजट प्रावधान से अधिक व्यय का कोई उदाहरण नहीं है।
- गत तीन वर्षों के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई विनियोग नहीं किया गया।
- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेशों और अभ्यर्पण आदेशों का प्रस्तुतिकरण।
- वर्ष के अंत से पहले अधिकांश बचतों का अभ्यर्पण।
- सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय का 100 प्रतिशत अंकमिलान करना।

3.7 सिफारिशें

- i. अत्यधिक बचतों को टालने, खासकर जहां निरन्तर बचतों के उदाहरण देखे गए हैं और अनुपूरक प्रावधानों को कम करने के लिए जो अनुपयोजित रहते हैं, के लिए बजट नियंत्रण प्रणाली, विशेष रूप से मासिक व्यय नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है।
- ii. सरकार समय पर निधियों का अभ्यर्पण सुनिश्चित कर सकती है ताकि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाले अन्य शीर्षों में उनका उपयोग किया जा सके। विलम्ब से अभ्यर्पण ने कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों की उपलब्धता और परिणामों को प्रभावित किया। निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोजन से भी बचा जा सकता है।
- iii. राज्य सरकार द्वारा बजट कार्यान्वयन के उचित क्रियान्वयन और अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचतें नियंत्रित हो, और प्रत्याशित बचतों की पहचान की जा सके और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित किया जावे। इस संबंध में आईएफएमएस का इष्टतम उपयोग लाभदायी हो सकता है।
- iv. बजट के उचित विश्लेषण और आगामी विनियोग लेखों की सटीक तैयारी में सहायता के लिए बजट आवंटन से व्यय के विचलन के स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बजट नियंत्रक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।